मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

रामप्रताप बनाम भतेरी आदि

दावा बाबत :– 88 RTACt

मुकदमा नम्बर :– 226/2021

निर्णय दिनांक :– 02-11-2021

वादी की ओर से वकील नरेन्द्र शर्मा की व प्रतिवादी सं० 1 ता 7 की ओर से वकील राममूर्ति तारकर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा ठाकरी के खाता सं. 110/407 के खसरा सं. 169 की 3.9960 है., खसरा सं. 289 की 0.9100 है., खसरा सं. 290 की 1.3270 है., खसरा सं. 299 की 2.4780 है., कुल 8.7110 है. बारानी खातेदारी में वादी के पिता स्व. अण्डुराम के नाम 4.5545 है. राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से अण्डुराम का नाम कलमजद किया जाकर वादी रामप्रताप 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 संजय को 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं चूंकि प्रतिवादी सं. 1 व 3 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में व प्रतिवादी सं. 4 ता 7 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन हो तो रहनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे / राजीनामा को डिक्री का भाग पढ़ा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 2-11-2021 ... मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.24 10:54:41 IST
Reason: SelfAttested

(शकुन्तला चौधरी)
(शिविर प्रभारी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
प्र.गा. के संग अ.-2021
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner